प्रेस के लिए सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 135/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

www.trai.gov.in

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित BFSI क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600-सीरीज़ को चरणबद्ध ढंग से अपनाने की अंतिम तिथियाँ अनिवार्य करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली, नवंबर 19, 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज एक दिशा-निर्देश जारी किया है जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), तथा पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए '1600' नंबर श्रृंखला अपनाने की अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। यह दिशा-निर्देश उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने, स्पैम को रोकने तथा वॉयस कॉल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

भादूविप्रा की विनियामक पहल के प्रत्युत्तर में, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा '1600' नंबर श्रृंखला बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (BFSI) क्षेत्र और सरकारी संगठनों को उनके सेवा एवं लेन-देन संबंधी कॉलों को अन्य वाणिज्यिक संचारों से स्पष्ट रूप से अलग पहचान देने के लिए आवंटित की गई है। यह श्रृंखला नागरिकों को विनियमित वित्तीय संस्थानों से आने वाली वास्तविक कॉलों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

श्रृंखला के आवंटन के बाद, भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के नियामकों के साथ 1600 श्रृंखला को अपनाने के लिए निरंतर संवाद किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 485 संस्थाएँ पहले ही 1600 श्रृंखला अपना चुकी हैं और कुल 2800 से अधिक नंबर ले चुकी हैं। हितधारकों के साथ बातचीत के आधार पर यह महसूस किया गया कि अब समयबद्धता अपनाने को अनिवार्य करने का उचित समय है, ताकि वे संस्थाएँ जो अभी भी सेवा एवं लेन-

देन कॉलों के लिए सामान्य 10-अंकीय नंबरों का उपयोग कर रही हैं, वे भी 1600 श्रृंखला में शिफ्ट हो जाएँ, जिससे वित्तीय संस्थानों के नाम से की जाने वाली धोखाधड़ी या भ्रामक कॉलों के जोखिम को कम किया जा सके। भादूविप्रा ने विनियामकों की संयुक्त समिति (जे.सी.ओ.आर.) की बैठकों में हुए विचार-विमर्श के उपरांत बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र के विनियामकों से आवश्यक समयसीमा संबंधी जानकारी प्राप्त की। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब चरणबद्ध कार्यान्वयन की समय-सारिणी जारी की गई है।

दिशा-निर्देश की प्रमुख प्रावधान:

क. सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित संस्थाएं

i. सभी म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) के मामलों में '1600' संख्या श्रृंखला अपनानाने की प्रक्रिया 15 फरवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
ii. सभी प्रशिक्षित स्टॉक ब्रोकरों (QSB.) के मामलों में '1600' संख्या श्रृंखला अपनानाने की प्रक्रिया 15 मार्च, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
iii. फिलहाल, अन्य सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ अपने पंजीकरण विवरण के सत्यापन के बाद स्वेच्छा से 1600-श्रृंखला में स्थानांतरित हो सकते हैं।

ख. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

i. वाणिज्यिक बैंक (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं) 1 जनवरी, 2026 तक इसका अवलंबन करेंगे।
ii. बड़ी एनबीएफसी (₹5000 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली), पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 फरवरी, 2026 तक इसका अवलंबन करेंगे।
iii. शेष एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य छोटे संस्थान 1 मार्च, 2026 तक इसका अवलंबन करेंगे।

ग. पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा विनियमित संस्थाएं

i. सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियाँ (CRAs) और पेंशन फ़ंड मैनेजर्स 15 फरवरी, 2026 तक इसका अवलंबन करेंगे।

बीमा क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 1600 श्रृंखला अपनाने की अंतिम तिथि निर्धारित करने का विषय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ विचाराधीन है तथा इसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

1600 श्रृंखला के संरचित और समयबद्ध अपनाने से उपभोक्ता सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होगा और वॉयस कॉल के माध्यम से होने वाली प्रतिरूपण आधारित वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा